पाँच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. भोपाल बेंच

R-806-PBR-17 प्र.क्र............./निगरानी/2016–17

Entry 101

1. राजेन्द्र कुमार जैन आ. महादेवलाल जैन
2. मनोज कुमार जैन आ. महादेवलाल जैन
3. धर्मेन्द्र कुमार आ. महादेवलाल जैन

सभी निवासी मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
तह. गौहरगंज, जिला रायसेन ....अनावेदक

निगरानी भू – राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि आवेदकगण द्वारा विधिवत क्रय की गई भूमि खसरा नं. 17/2 रकबा 1.214 हैक्टेयर खसरा नं. 15/2/3 रकबा 0.0404 हे. एवं खसरा नं. 17/3/1 रकबा 1.214 हे. के आदेश दिनॉक 14/08/14 को नामान्तरण उपरान्त 02/11/2016 को प्रकरण क्र. 05/अ–6/पुर्नविलोकन/2016–17 के द्वारा अवैध पुर्नविलोकन के आधार पर हितबद्धपक्ष को बगैर सुनवाई का अवसर दिये दिनॉक 02/11/2016 नामान्तरण निरस्त करने की कार्यवाही से पीड़ित होकर जानकारी के आधार पर समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 806-पीबीआर/17 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	आवेदक अभिभाषक श्री एच.आर. पटेल उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक पक्ष सूचित हो । अध्यक्ष रीडर	